कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर।

पत्रांकः बेसिक / मान्यता / 7149-51 / 2021–22 दिनांक 26-12-21

प्रबन्धक,
रैनेसां स्कूल,
निकट चार यार, रोड, (डी0एम0 रोड)
जनपद–बुलन्दशहर।

विषयः– वर्ष 2020–21 में अशासकीय, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रदत्त 1 वर्ष की अस्थायी मान्यता के उपरान्त, आर0टी0ई0–2009 के अनुसार विद्यालय नियमित रूप से संचालित होने पर स्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, के शासनादेश संख्याः 89/अरसठ–3–2018–2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2019 एवं शासनादेश संख्याः 196 / अडसठ–03–2020–2041 / 2018, बेसिक शिक्षा अनुभाग–03 दिनांक 29.06.2019 के अनुपालन में, आपके द्वारा प्रस्तुत मान्यता आवेदन पत्र–पत्रावली के अनुसार खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्थलीय निरीक्षण उपरान्त, मान्यता की शर्तें पूर्ण पाये जाने एवं उनकी संस्तुति पर, मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 30.03.2020 में लिये गये निर्णय के अनुसार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या बेसिक/मान्यता/824–26/2020–21 दिनांक 08.06.2020 के द्वारा दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक 01 (एक) वर्ष की अवधि हेतु "**रैनेसां स्कूल, निकट चार यार,रोड, (डी0एम0 रोड) जनपद–बुलन्दशहर**" को कक्षा 06 से कक्षा 08 तक की अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी थी।

आपके पत्र दिनांक 15.03.2021 एवं शपथ पत्र दिनांक 15.03.2021 के कम में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्याः बेसिक/मान्यता/4523–25/2021–22 दिनांक 27.09.2021 के द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय जनपद बुलन्दशहर से उक्त विद्यालय का परीक्षण कराया गया।

खण्ड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय जनपद बुलन्दशहर ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या मान्यता/79/2021–22 दिनांक 30.09.2021 के द्वारा उक्त विद्यालय के स्थलीय परीक्षण उपरान्त, आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करायी जिसमें स्पष्ट किया गया कि "**रैनेसां स्कूल, निकट चार यार,रोड, (डी0एम0 रोड) जनपद–बुलन्दशहर**" द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (आर0टी0ई0–2009) के अनुसार सभी शर्तें पूर्ण कर ली गयी है और विद्यालय नियमित रूप से संचालित है तथा उनके स्तर से उक्त विद्यालय को स्थायी मान्यता की संस्तुति की गयी है।

अतः आपके पत्र दिनांक 15.03.2021 तथा शपथ पत्र दिनांक 15.03.2021 और खण्ड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय जनपद बुलन्दशहर की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 30.09.2021 के कम में, "**रैनेसां स्कूल, निकट चार यार,रोड, (डी0एम0 रोड) जनपद–बुलन्दशहर**"को स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में विभागीय नियमों के विपरीत तथ्य प्रकाश में आते है तो प्रदान की गयी स्थायी मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(अखण्ड प्रताप सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर।

पृ0सं0– बेसिक / मान्यता / / 2021–22 तद् दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), मेरठ मण्डल–मेरठ।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद–बुलन्दशहर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर।